अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6 / विविध–164 / 2010– 168 (E) / पटना, दिनांक 8/1/18

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग

विषय :– अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने / मुक्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं जल संसाधन विभाग द्वारा निम्न संवेदकों के निबंधन को काली सूची में डाले जाने / मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम / निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	शक्ति शंकर कन्स0 कं0 प्रा0 लि0, महाराजा बिल्डिंग, करमन टोला, आरा, बिहार निबंधन सं०–29 / 2008, श्रेणी–प्रथम	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–12716 दिनांक– 20.11.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को काली सूची से मुक्त किया गया।
2.	मेसर्स चन्दा कन्स0 एंड कम्पनी, द्वारा–विजय कुमार सिंह, चन्दा भवन होरिलगंज, पोस्ट+जिला–जहानाबाद निबंधन सं०–170 / 2008, श्रेणी–प्रथम	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–12459 दिनांक– 14.11.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया।
3.	मेसर्स माँ वैष्णवी कन्स0, जय प्रकाश नगर, आईटी0आई0 बेतिया निबंधन सं०–1358 / 2015, श्रेणी–प्रथम	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–12711 दिनांक– 20.11.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 15 वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया।
4.	श्री अजीत कुमार सिंह, निवासी डॉ0 ब्रेजमोहन गली, संजय सिनेमा रोड, थाना–ब्रहमपुरा, जिला–मुजफ्फरपुर निबंधन सं०–2150027, श्रेणी–द्वितीय	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–10744 दिनांक– 13.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।
5.	मेसर्स कोर्णाक एसोसिएटस B-57/4 राजेन्द्रपुरम गंगानगर मेरठ (उत्तर प्रदेश) निबंधन सं०–30 / 2015, श्रेणी–प्रथम	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–4307 दिनांक– 28.11.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को अगले 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया।

D:\A.V.S. FOLDER\SECTION-7 & 8\SUJEET JEE\BLACK LISTING DRAFT.DOCX

6.	श्री सत्येन्द्र कुमार, निदेशक–सत्येन्द्र कुमार कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 202, हीरा इन्कलेव, न्यू डाकबंगला रोड, जी0पी0ओ0, पटना–800001 निबंधन सं०–34 / 2009, श्रेणी–प्रथम	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–4020 दिनांक–13.11.2017 (छायाप्रति संलग्न)	CWJC No.-3473/2016 में दिनांक–13.07.2016 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में काली सूची से मुक्त किया गया।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन-

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक–प्र०–6 / विविध–164 / 2010– 168 (E)w **/ पटना, दिनांक** 8/1/18

प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०:–यथोक्त।

(लक्ष्मी नारायण दास)

पत्र संख्या–11/मु0–06–06/2017........................

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, बाँका, बाँका के अन्तर्गत हिरम्बी नदी पर बियर बाँध निर्माण कार्य की निविदा में फर्जी/जाली दस्तावेज समर्पित करने के आरोप में संवेदक सत्येन्द्र कुमार कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, 202 हीरा इन्कलेव, न्यू डाकबंगला रोड, जी0पी0ओ0, पटना के निबंधन सं0–34/2009 (प्रथम श्रेणी) का विभागीय आदेश ज्ञापांक–568, दिनांक 28.01.16 द्वारा 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया था।

इसके विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर CWJC No. 3473/2016 में दिनांक 13.07.16 को पारित न्याय–निर्णय में उक्त कालीकरण आदेश को Set Aside कर दिया गया है। विभाग द्वारा उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध LPA No. 1014/2017 दायर किया गया है।

तार्किक आदेश ज्ञापांक–2375, दिनांक 28.08.09 में संवेदक को इस शर्त के साथ निबंधन संख्या–34/2009 आवंटित किया गया था कि उनके विरूद्ध चल रही कार्रवाई के फलाफल से इनका निबंधन प्रभावित होगा। CWJC No. 3473/2016 में पारित न्याय निर्णय से यह परिलक्षित होता है कि इनको माननीय न्यायालय द्वारा निर्दोष करार दिया गया है। इस बदले हुए परिस्थिति में मामले की पुनः समीक्षा की गई।

सम्यक समीक्षोपरांत माननीय न्यायालय द्वारा CWJC No. 3473/2016 में दिनांक 13.07.16 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में कालीकरण आदेश ज्ञापांक–568, दिनांक 28.01.16 को निरस्त किया जाता है।

यह आदेश LPA No. 1014/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय से आच्छादित होगा।

ह0/–
(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :......................................पटना/दिनांक :..................................

स्पीड पोस्ट/निबंधित

प्रतिलिपि :– श्री सत्येन्द्र कुमार, निदेशक–सत्येन्द्र कुमार कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 202, हीरा इन्कलेव, न्यू डाकबंगला रोड, जी0पी0ओ0, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :.......4020.......पटना, दिनांक :.......13.11.2017.......

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल –2,3,4, पटना/संयुक्त सचिव (निगरानी), जल संसाधन विभाग/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं आई0टी0मैनेजर को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/11/17
(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख, (मुख्यालय)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश संख्या– 11 / विविध–05–02 / 2017– पटना, दिनांक–

आदेश

मुख्य अभियंता, बिहारशरीफ परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद के अंतर्गत घराउत मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या–07 / SBD/2012-13 मेसर्स कोणार्क एसोसिएटस द्वारा की गयी।

संवेदक द्वारा मार्च 2017 तक कार्य को पूर्ण करने का कार्यक्रम दिया गया परंतु प्रगति में पिछड़ने के बाद संवेदक द्वारा दिनांक–15.06.2017 तक कार्य को पूरा करने का अंडरटेकिंग दिया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार सचेत करने के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं ली गयी। तदोपरांत मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहारशरीफ द्वारा पत्रांक–814 दिनांक–24.07.2017 से संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक मेसर्स कोणार्क एसोसिएटस से विभागीय पत्रांक–2957 दिनांक–03.08.17 द्वारा कारण–पृच्छा की गयी। संवदेक द्वारा दिनांक–31.08.17 को कारण–पृच्छा समर्पित किया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि दिनांक–26.07.2014 थी। प्रीकास्ट टाईल्स लाइनिंग की स्थायित्व की समस्या एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि की अनुशंसा के आलोक में कार्य के स्कोप ऑफ वर्क में आए बदलाव के कारण कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा दिनांक– 19.12.15 को पुनः पूरक एकरारनामा किया गया तथा संवेदक को कार्य को पूर्ण करने हेतु मार्च 2017 तक का समय दिया गया । लेकिन संवेदक द्वारा उक्त अतिरिक्त समय का सदुपयोग न कर व्यर्थ गवाया गया।

संवेदक के लापारवाह रवैये के कारण घराउत मुख्य नहर में 22.70 कि0मी0 की लंबाई में नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईलिंग कार्य के विरूद्ध पूरी लंबाई में मिट्टी कार्य मात्र 08.00 कि0मी0 किया जा सका, जो कि पूरे कार्य का मात्र 34 प्रतिशत है।

निर्धारित माईल–स्टोन के अनुसार कार्य में उपेक्षित प्रगति नहीं रहने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता द्वारा नोटिस दिये जाने के उपरांत संवेदक द्वारा दिनांक–15.06.2017 तक कार्य का पूरा करने का अंडरटेकिंग दिया गया, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

उपर्युक्त से स्पष्ट हो जाता है कि अवधि विस्तार मिलने एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा बार–बार सचेत करने के बावजूद भी संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं ली गई। यह संवेदक का कार्य में प्रति लापरवाही, घोर कर्त्तव्यहीनता एवं उदासीनता को स्पष्ट तौर पर दर्शाता है।

संवेदक के इस कृत्य को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के नियम–11 (क) (ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित पाते हुए मेसर्स कोर्णाक एसोसिएटस B-57/4 राजेन्द्रपुरम गंगानगर मेरठ (उत्तर प्रदेश) के निबंधन संख्या–30 / 2015 (श्रेणी– प्रथम) को दस वर्षो के लिए काली सूची में डाला जाता है।

ह0 / –
(अरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख, (मुख्यालय)

कृ0पृ0उ0–2

TSC-1/ON DESKTOP/TSP/11-17/Sec-11

ज्ञापांक–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री तुषार गोयल पा0 मेसर्स कोर्णाक एसोसिएटस B-57/4 राजेन्द्रपुरम गंगानगर मेरठ (उत्तर प्रदेश), पिन–250001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(अरूण कुमार)

अभियंता प्रमुख, (मुख्यालय)

ज्ञापांक– 4307   पटना, दिनांक– 28.11.17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/भवन निर्माण विभाग, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मो0 अंचल, पटना/ अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

27/11/17

(अरूण कुमार)

अभियंता प्रमुख, (मुख्यालय)

TSC-1/ON DESKTOP/TSP/11-17/Sec-11

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

कार्यालय आदेश संख्या–14/अ0प्र0–3–55/16 10744 पटना, दिनांक– 12-9-17

मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के कार्यालय पत्रांक– 6681 दिनांक 26.10.2016 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर का पत्रांक 1400 अनु0 दिनांक 22.10.2016 द्वारा संवेदक श्री अजीत कुमार सिंह, निवासी डॉ0 ब्रजमोहन गली, संजय सिनेमा रोड़, थाना– ब्रहमपुरा, जिला– मुजफ्फरपुर (निबंधन संख्या–2150027 श्रेणी– द्वितीय) द्वारा टेण्डर आई0डी0 संख्या– 34875, बीड आई0डी0 संख्या 11587 रेवा रोड से रेवा डीह चौबे पथ एवं टेण्डर आई0डी0– 37060, बीड आई0डी0 संख्या–124136 भूसरा हथौड़ी परी सड़क से मलिया डीह शर्मा हरिजन टोला पथ में अनुभव, भुगतान एवं बैंक प्रमाण पत्र संबंधित कागजात सत्यापन में जाली पाते हुए विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। इस क्रम में संवेदक से विभागीय पत्रांक 12037 दिनांक 19.10.2016 एवं विभागीय पत्रांक 12817 अनु0 दिनांक 16.11.2016 स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसके आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 28.11.2016 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया।

विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक श्री अजीत कुमार सिंह, निवासी डॉ0 ब्रजमोहन गली, संजय सिनेमा रोड़, थाना– ब्रहमपुरा, जिला– मुजफ्फरपुर (निबंधन संख्या–2150027 श्रेणी– द्वितीय) को जाली प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य लेने का आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया।

अतएव संवेदक को ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या– 8123 दिनांक 19.12.2007 में उल्लेखित बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 की उप कंडिका– IX एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 154 दिनांक 18.06.2015 की कंडिका–8 के उप कंडिका– 4 के तहत श्री अजीत कुमार सिंह, निवासी डॉ0 ब्रजमोहन गली, संजय सिनेमा रोड़, थाना– ब्रहमपुरा, जिला– मुजफ्फरपुर (निबंधन संख्या–2150027 श्रेणी– द्वितीय) को 10 वर्षो के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(शंकर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3–55/16 10744 पटना, दिनांक– 12-9-17

प्रतिलिपि– संवेदक श्री अजीत कुमार सिंह, निवासी डॉ0 ब्रजमोहन गली, संजय सिनेमा रोड़, थाना– ब्रहमपुरा, जिला– मुजफ्फरपुर (निबंधन संख्या–2150027 श्रेणी– द्वितीय) को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–3–55/16 10744 पटना, दिनांक– 12-9-17

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

कृ0पृ0उ0

467

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–3–55/16 10744 पटना, दिनांक– 13.9.17
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक– 14/अ0प्र0–3–55/16 10744 पटना, दिनांक– 13.9.17
प्रतिलिपि– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

30

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

कार्यालय आदेश सं0–14/अ0प्र0–3–17/15– 12711 पटना,दिनांक–20.11.17

संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 439 अनु, दिनांक 04.02.2015 द्वारा निगरानी विभाग, पटना के पत्रांक 6089, दिनांक 17.12.2014 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए सूचित किया गया कि जॉच प्रतिवेदन में पूर्वी चंपारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत कबलपुर चौक से शंकर सरैया पथ की विशेष मरम्मति कार्य में अनियमितता के लिए संवेदक मेसर्स मॉ वैष्णवी कन्स0, जय प्रकाश नगर, आई0टी0आई0, बेतिया को उत्तरदायी माना गया है। उक्त सूचना के साथ संवेदक मेसर्स मॉ वैष्णवी कन्स0, जय प्रकाश नगर, आई0टी0आई0, बेतिया के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की गई।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 2213, दिनांक 25.02.15 द्वारा उपरोक्त मामले के संबंध में संवेदक से स्पष्टीकरण पृच्छा की गई। स्पष्टीकरण अप्राप्त होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 7127, दिनांक 12.06.15 द्वारा पुनः स्मारित किया गया। स्पष्टीकरण पृच्छा के आलोक में संवेदक के पत्रांक–शून्य, दिनांक 16.07.15 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित आरोप संख्या–1,2 एवं 3 को प्रमाणित माना गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर संवेदक के निबंधन को काली सुची में डालने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक मेसर्स मॉ वैष्णवी कन्स0, जय प्रकाश नगर, आई0टी0आई0, बेतिया के निबंधन सं0–1358/2015, श्रेणी–प्रथम को विभागीय अधिसूचना संख्या–8123, दिनांक 19.12.07 की कंडिका– 11 (क) की उप कंडिका (VI) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154, दिनांक 18.06.2015 की कंडिका 8 के कमांक 1 (b) के तहत पन्द्रह(15) वर्षों के लिए विभागीय काली सुची में डाला जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागु होगा।

(शंकर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3–17/15– 12711 पटना, दिनांक–20.11.17

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी नोडेल पदाधिकारी (मु0) ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शंकर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3—17/15– 12711 पटना, दिनांक–20.11.17

प्रतिलिपि– संवेदक मेसर्स मॉ वैष्णवी कन्स0, जय प्रकाश नगर, आई0टी0आई0, बेतिया को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शंकर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख

(A65)

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3–17/15– 12711 पटना, दिनांक– 20.11.17

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को विभागीय साईट पर इस पत्र को अपलोड करने हेतू प्रेषित।

(शंकर प्रसाद सिंह)
अभियंता प्रमुख

1562

30